दी गई है ताकि जून, 1978 तक बिना बैंक वाले सामुदायिक विकास खण्डों में से प्रत्येक में वाणिज्यिक बैंकों की कम से कम एक शाखा अवश्य स्थापित हो जाये ।

(2) बैंकों को आदेश दिये गये हैं कि कार्य-निष्पादन बजट की अपनी व्यवस्था का और परिमार्जन करें ताकि उस बजट का अधिक सार्थक और प्रयोजन परक होना सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि मार्च, 1978 के अंत तक देश में सभी जिलों के लिए ऋण योजनाएं बनाएं ताकि जिले की सभी वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं मिलकर जिलों के, जो मान्यता प्राप्त प्रशासनिक एकक हैं, आर्थिक विकास में सहायता कर सकें ।

(4) समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की दृष्टि से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिये गये हैं कि मार्च 1979 तक उनके समग्र अग्रिमों का कम से कम 33⅓ प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाने लगे ।

(5) सरकार ने बैंकों को सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं का ऋण और जमा का अनुपात, मार्च, 1979 तक, कम से कम 60 प्रतिशत हो जाये ।

(6) समाज के कमजोर वर्गों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में, सरकार ने विभेदी ब्याज दर योजना के क्षेत्र और व्याप्ति को संशोधित कर दिया है । इस योजना के अधीन पात्र व्यक्तियों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण प्रदान किया जाता है ।

(7) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनाएं और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने का उपाय करें ।

(8) ऋण के आवेदन पत्रों का शीघ्र-निपटान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि 10,000 तक की ऋण सीमा के छोटे ऋण के आवेदन-पत्रों को, उनकी प्राप्ति की तारीख से 3-4 सप्ताह की अवधि में और उससे अधिक सीमा के आवेदन-पत्र 3 महीने की अवधि में निपटा दिये जाने चाहिएं ।

Exemption from Excise Duty to New Industrial Units

*227. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether the Indian Merchants Chamber had requested for grant of complete exemption from payment of excise duty for a specified period to new industrial units; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Exemption from excise duty to the extent of 25 per cent of the duty otherwise payable is already available to new units producing specified goods, under the scheme of excise duty relief to encourage higher production, announced under notification No. 198/76-CE, dated 16th June, 1976. Further reliefs are under examination.